प्रेस नोट **पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद** **दिनांक 29.10.2024**

थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण, पुलिस मुठभेड में 01 अभियुक्त घायल/गिरफ्तार, कब्जे से हत्या/घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल व 01 जिंदा कारतुस बरामद

दिनांक 25.10.24 को थाना निवाड़ी पर वादी श्री धर्मपाल पुत्र अभेराम निवासी ग्राम अबूपुर थाना निवाड़ी गाजियाबाद ने तहरीर दी कि जब आज सुबह जब मेरा लड़का मिथलेश घर से काम करने के लिये मुरादनगर जा रहा था तो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर शव के पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया तथा घटना का शीघ्र अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर से तीन टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटैज अवलोकन, सर्विलांस, गवाहों से पूछताछ व अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटना का अनावरण किया गया। दिनांक 28/29.10.24 को थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा प्रकाश में आये अभियुक्त की तलाश हेतु चेकिंग की जा रही थी चेकिंग के दौरान अभियुक्त को चेकिंग/पूछताछ हेतु रोकने का प्रयास किया गया तो वह व्यक्ति पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगा। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में अभियुक्त अमित उर्फ विकास पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम अबूपुर थाना निवाड़ी गाजियाबाद घायल / गिरफ्तार हुआ। घायल / गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध पिस्टल व एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ उक्त पिस्टल पूर्व मे की गयी हत्या में प्रयोग की गई थी। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का उपचार एमएमजी अस्पताल गाजियाबाद में चल रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि मैं व मेरे तेहरे भाई मिथलेश आपस मे एक ही परिवार के सदस्य हैं अब से पहले हम दोनों परिवार में जमीन को लेकर विवाद था और तब गावों के व्यक्तियों के द्वारा निपटारा करा दिया था लगभग 06 माह पहले मिथलेश व मेरे बीच में कुछ विवाद हो गया था जिसमें मेरे पिता व मां ने मिथलेश के पिता धर्मपाल जो मेरे ताऊ लगते है उनसे मिथलेश की शिकायत की थी तो मिथलेश ने मेरे पिता के थप्पड मार दिया था और मेरी मां की भी काफी बेइज्जती की थी उसी दिन मैंने अपने माता-पिता की बेज्जती का बदला लेने के लिये मैंने मिथलेश को जान से मारने की कसम खाली थी जब में रास्ते में आता जाता था और मिथलेश मुझे देखकर घूरता था जिससे मैं ज्यादा छुब्द हो गया और दिनांक 25.10.24 को सुबह के समय जब यह ओएफएम कस्बा मुरादनगर में काम करने के लिये जा रहा था तो मैं रेगूलेटर से आगे झाडियो में छुप गया था और उसके आने का इन्तजार करता रहा जब मिथलेश साईकिल से मेरे सामने से निकला तो मैंने पीछे से इसकी पीठ में दो गोली मारी थी गोली लगने के बाद मिथलेस सडक किनारे झाडियों में गिर गया तभी मैंने इसके ऊपर अंधाधुन्ध गोलियां चलाकर मार दिया यदि मैं उसे नही मारता तो मिथलेश मुझे जान से मार देता मिथलेश को मारने के बाद मैं वहां से भाग गया था मैं छिपता छिपाता दिनांक 28/29.10.2024 की रात्रि कहीं जाने के लिये गंगनहर डिडौली पुल के पास होता हुआ जा रहा था तभी पुलिस ने मुझे रूकने का इशारा किया परन्तु मैं पकडे जाने के डर से पुलिस पर जान से मारने की नीयत से उसी पिस्टल से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण –

अमित उर्फ विकास पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम अबूपुर थाना निवाड़ी गाजियाबाद,उम्र-34 वर्ष,

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त अमित उर्फ विकास के विरुद्ध थाना निवाड़ी कमिश्नरेट गाजियाबाद पर हत्या व पुलिस मुठभेड के 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण –

- हत्या में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल 0.32 बोर व एक जिन्दा कारतूस 0.32 बोर बरामद,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना निवाड़ी पुलिस टीम।

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा मोबाइल टावरों के उपकरण चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के वाँछित/पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का करीब 30 लाख रूपये का माल बरामद।

क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा गाजियाबाद, दिल्ली एन0सी0आर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब व मध्यप्रदेश में जिओ व एयरटेल कम्पनी के मोबाइल टावरों से आर0आर0 यूनिट, बैट्री व अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाईस चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के सक्रिय सदस्य तथा थाना वेव सिटी से वाँछित एवं 20,000-20,000 रूपये के पुरस्कार घोषित 02 शातिर अभियुक्त जो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहे थे तथा मदुरई तमिलनाडु में रहकर गिरोह के लिए काम कर रहे थे को मदुरई तमिलनाडु से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है गिरफ्तार अभियुक्तों की निशादेही पर दिनाँक-28/10/2024 को थाना वेव सिटी क्षेत्र ईदगाह रोड कब्रिस्तान के पास से मोबाइल टावरो से चोरी रेडियो रिसीवर यूनिट तथा मोबाइल टावर की बैट्री बरामद हुई है। **दोनो अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर डी0सी0पी0 ग्रामीण गाजियाबाद द्वारा 20,000-20,000 रूपये का पुरस्कार पूर्व से घोषित है।**

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर पकडे गये शातिर अभियुक्त शाहिद मलिक ने बताया कि वह 10वीं फेल है और करीब पिछले 12 वर्षों से कबाड का काम करता है लेकिन उस काम में ज्यादा फायदा नहीं20 हो रहा था तो वह अपने ही गाँव के रहने वाले सरफराज जो देश के विभिन्न राज्यों से मोबाईल टावरो से रेडियो रिसीवर यूनिट, बैट्री व अन्य सामान चोरी करने का काम करता है के सम्पर्क मे आया जिसने शाहिद को बताया कि मोबाईल टावर चोरी के काम में बहुत ज्यादा फायदा है उसके बाद शाहिद ने सरफराज से चोरी का माल लेकर अपने साले मोहसिन को देने का काम शुरू कर दिया। मोहसिन पहले से ही इस काम मे लिप्त था। अभियुक्त नूर मलिक उर्फ नूरू ने बताया कि वह 10वी फेल है तथा पिछले करीब 05 वर्ष से मोबाईल के पत्तों के कबाड का काम करता है लेकिन उस काम मे ज्यादा आमदनी नही हो पाती थी तो वह शाहिद के साले मोहसिन के सम्पर्क में आया जिसने उसे मोबाईल टावर चोरी के काम से होने वाले फायदे के बारे मे बताया तो नूर ने मोहसिन से मोबाईल टावरों से चोरी माल को लेकर अपने जीजा दिल्लू उर्फ दिलशाद को देने का काम शुरू कर दिया जिससे नूर उर्फ नूरू को काफी फायदा होने लगा। शाहिद मलिक व नूर मलिक उर्फ नूरू भी आपस मे साले बहनोई है।

विस्तृत रूप से पूछने पर शाहिद व नूर ने बताया कि हम लोगो का एक संगठित गिरोह है जो मोबाईल टावरों से रेडियों रिसीवर यूनिट, बैट्री व अन्य इलैक्ट्रोनिक सामान चोरी करने व खरीद फरोख्त करने का काम करते है, कुछ वर्षों से मोबाइल टावरों की बैट्री, रेडियो रिसीवर यूनिट व अन्य इलैक्ट्रोनिक डिवाईस की चोर बजारी में काफी माँग चल रही है मोबाइल टावरों पर लगे उपकरण काफी मँहगे होते है और इनको चुराना काफी आसान होता है और उनको ट्राँन्सपोर्ट करने में कोई समझ भी नही पाता हैं कि यह क्या है। पहले हम लोग अलग-अलग आर0आर0यू0 की चोरी करते व बेचते थे, फिर हमनें मिलकर अपना एक संगठित गिरोह बना लिया। हमारे गिरोह मे हमारे अलावा मोहसिन, सरफराज, अनस, राजा उर्फ अकरम, राजा उर्फ शाकिब,

शादाब, सलमान, अज्जू, अमन, दिल्लू उर्फ दिलशाद, सोनू उर्फ कृपाल, हातिम, अय्यूब व हसन शामिल हैं। हमारे गिरोह के मोहसिन, सरफराज, अनस, राजा उर्फ अकरम, राजा उर्फ शाकिब, सलमान, हातिम व शादाब मोबाईल टावरो की चोरी मे ही गाजियाबाद से जेल जा चुके है। मोबाईल टावरों से उपकरण चोरी कर खरीद फरोख्त के बाद जो रूपये मिलते है उनको हम काम के अनुसार आपस मे बाँट लेते है और हिस्से मे आये रूपयों से ही हम घर के खर्चे व अपने शोक पूरे करते है।

पूछताछ पर मोबाइल टावरो से रेडियो रिसीवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरण चोरी करने वाले अन्य अपराधियों के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। जिसके आधार पर टीमें बनाकर माल बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व आस-पास के क्षेत्रों में मोबाइल टावरों से रेडियो रिसिवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरणों की चोरी पर रोक लगेगी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण</u>-

1.शाहिद पुत्र साबिर निवासी म0न0- 345 बडी मस्जिद के पास ग्राम भैसा थाना मवाना जनपद-मेरठ हाल निवासी किराये पर एलिस नगर थाना सी-3 एस0एस0 कालोनी मदुरई तमिलनाडु उम्र-30 वर्ष

2.नूर उर्फ नूरू पुत्र शमशाद निवासी गली न0-26/3 वीर अब्दुल हमीद स्कूल के पास लक्खीपुरा थाना लिसाडी गेट जनपद-मेरठ हाल निवासी किराये पर एलिस नगर थाना सी-3 एस0एस0 कालोनी मदुरई तमिलनाडु उम्र-26 वर्ष

<u>अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण</u> –

1.मोबाइल टावर की रेडियो रिसिवर यूनिट-03 अदद

2.मोबाइल टावर बैट्री -01 अदद

<u>आपराधिक इतिहास</u>-

1.अभियुक्त शाहिद के विरूद्ध पंजाब में 01 व गाजियाबाद मे 02 कुल 03 मे अभियोग पंजीकृत है।

2.अभियुक्त नूर उर्फ नूरू के विरूद्ध पंजाब में 01 व गाजियाबाद मे 02 कुल 03 मे अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

क्राइम ब्रान्च, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना नंदग्राम पुलिस टीम द्वारा मो0फोन व चैन स्नैचिंग करने वाले 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से लूटे हुए मो0फोन, चैन बेचकर अर्जित किये गये 3020 रुपये व घटना में प्रयुक्त मो0सा0 बरामद ।

दिनांक 28-10-24 को वादी श्री अनुज पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी 43/2 गोविंदपुरी मोदीनगर ने सूचना दी कि कल दिनांक 26/10/24 को मैं अपने घर जा रहा था तभी 5 नं0 भट्टा रोड पर ML COLLEGE के पास दो लड़के पीछे से एक मो0सा0 पर आयें और मेरा मो0फोन छीन कर ले गये, उक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए टीमों का गठन किया गया । दिनांक 29-10-24 को चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर बैकुन्ठ विला के पास से अभि0गण 1. शिवम उर्फ बम 2. आकाश शर्मा 3. यश को छीने गये मो0फोन व चैन बेचकर अर्जित किये गये 3020/- रुपये व घटना में प्रयुक्त मो0सा0 के साथ गिरफ्तार किया गया व अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

<u>पूछताछ का विवरण</u>--

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम तीनों एक साथ योजना बनाकर घटना करते है तथा यश जहाँ हमे घटना करनी होती है वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है यदि पुलिस गस्त कर रही हो तो हमे सूचित कर देता है, यह फोन मैने (आकाश) व शिवम ने इसी बाईक से दिनांक 26.10.2024 को भट्टा न0 5 पर एमएल कॉलिज के पास जा रहे एक व्यक्ति से

छीना था यह वही फोन है , अभियुक्त यश व आकाश से बरामद रुपये के बार में जानकारी की तो दोनो ने बताया कि आज से करीब 1 सवा महीने पहले रात्रि मे हम दोनो ने लायन्स आई अस्पताल के पास कविनगर से पैदल जा रहे व्यक्ति व उसके साथ जा रही एक औरत के गले से चैन छीन कर भाग गये थे जिसको हमने राह चलते व्यक्ति को मजबूरी बताकर 20,000 रुपये मे बेच दी थी जिसके पैसे हमने आपस मे बांट लिये थे जिसमे से कुछ रुपये हमने मौज़ मस्ती मे खर्च कर दिये है।

अभियुक्तगण के नाम व पता-

1. शिवम उर्फ बम पुत्र पिन्टू निवासी रेलेवे रोड मुरादनगर पैट्रोल पम्प के पास उम्र 19 वर्ष
2. आकाश शर्मा पुत्र अनिल शर्मा निवासी मौहम्मदपुर घेडा थाना मुरागनगर उम्र 20
3. यश पुत्र करण निवासी शिव मन्दिर के पास ग्राम मोरटा उम्र 20 वर्ष

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

अभि0 शिवम उर्फ बम उपरोक्त के विरुद्द थाना नन्दग्राम पर मो0फोन स्नैचिंग का 01 अभियोग पंजीकृत है।

अभि0 आकाश शर्मा उपरोक्त के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर मो0फोन0 स्नैचिंग का एक अभियोग, थाना मुधबन बापूधाम पर मारपीट का एक अभियोग, थाना कविनगर पर चैन स्नैचिंग का एक अभियोग , गाजियाबाद कमि0 पर कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।

अभि0 यश उपरोक्त के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर मो0फोन0 स्नैचिंग का एक अभियोग, थाना कविनगर पर चैन स्नैचिंग का एक अभियोग , गाजियाबाद कमि0 पर कुल 02 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण--

1 मो0फोन ONE Plus NORD CE 3 LITE COLOR GREEN,
2 चैन बेचकर अर्जित किये गये रुपये 3020/-
3 घटना में प्रयुक्त मो0सा0 UP 14 GB 0132 SPLENDOR COLOR BLACK.

गिरफ्तार करने वाली टीम--

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम ।